न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/85/2021

रामकिशोर मीना श्योनारायण जाति मीना निवासी अनूपपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा जरिये मुख्त्यारआम हरकेश रैगर पुत्र रामनिवास रैगर जाति रैगर निवासी अनूपपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

......प्रार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये पैरोकार, भरतपुर

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी अन्तर्गत धारा 457 जा0फौ0 बाबत वाहन महिन्द्रा पिकअप रजि0न0 आरजे/14/जी.सी. 1115 बसिलसिले एफ.आई.आर न0 128/2021 पुलिस थाना गोपालगढ अन्तर्गत धारा 5/8 गौवंश अधिनियम 1995।

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्र सिंह सोना, अभिभाषक प्रार्थी
2. राजकीय पैरोकार

दिनांक 22.02.2022

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी वाहन इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी वाहन महिन्द्रा पिकअप रजि0 न0 आरजे 14/जी.सी. 1115 का प्रार्थी मुखत्यारआम मालिक है तथा वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने का अधिकारी है। प्रार्थी का उक्त वाहन पुलिस थाना गोपालगढ द्वारा दिनांक 17.06.2021 को प्रकरण में जब्त कर लिया है जो कि थाने पर खुले में खडा हुआ है जिससे वाहन के खराब होने की पूर्ण संभावना है। पुलिस थाना को उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नही है। प्रार्थी को अपने व्यवसायिक कार्यो हेतु उक्त वाहन की आवश्यकता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाहन महिन्द्रा पिकअप रजि0 न0 आरजे 14/जी.सी. 1115 को सुपुर्दगी दिये जाने की प्रार्थना की है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। थानाधिकारी, पुलिस थाना गोपालगढ से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना गोपालगढ से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 03.02.2022 शामिल पत्रावली की गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज कथनों को दोहराते हुये अवगत कराया है कि प्रार्थी उक्त वाहन का जरिये मुखत्यार आम मालिक है तथा सुपुर्दगी में प्राप्त करने का हकदार है। उक्त वाहन को थाना गोपालगढ में गोवंश अधिनियम में जब्त किया हुआ है, जो खुले में खडे रहने से वाहन के खराब होने की संभावना है। वाहन सुपुर्दगी के सबंध में न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जावेगा उसकी पालना की जावेगी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये तर्क किया है कि जब्त वाहन का उपयोग गोवंश की तस्करी एवं अनैतिक कृत्य तथा अवैध परिवहन के लिए किया गया है। वाहन में तीन गाय एक बछिया व एक बछडा कुल 5 गौवंश भरे हुये थे जो कूरता पूर्वक मुंह व पैर रस्सियों से बंधे हुये थें। गोवंश को राजस्थान से हरियाणा लेकर जाना पाया गया है। वाहन स्वामी के पास में कोई रवन्ना या परमिट नही था जिससे कि प्रार्थी यह सिद्ध कर सके कि उक्त वाहन का उपयोग गोवंश की गौकशी में नही किया जा रहा हो। अभियोजन अधिकारी द्वारा सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी के कथनों पर गौर किया। थानाधिकारी पुलिस थाना गोपालगढ की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना गोपालगढ ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि जब्तशुदा वाहन महिन्द्रा पिकअप रजि0न0 आरजे 14 / जी.सी. 1115 में कुल 5 गोवंश जिनमें तीन गाय व एक बछिया तथा एक बछडा को ठूंस–ठूंस कार भरे हुये थे जिनके मुंह व पैर रस्सियों से बंधे हुये थे। जिनको गौकशी के लिए राजस्थान से हरियाणा ले जाया जा रहा था। जिसके पास गोवंश को परिवहन करने का कोई परमिट या रवन्ना नही था। इससे यह तथ्य साबित होता है कि उक्त वाहन अवैध परिवहन व गौवंश की तस्करी में उपयोग में लिया गया है। वाहन में तीन गाय व एक बछिया तथा एक बछडा को रस्सियों से मुंह व पैर बंधकर कूरता पूर्वक ढंग से परिवहन किया जाना पाया गया है जो कि अमानवीय कृत्य की श्रेणी में आता है। प्रार्थी द्वारा अपनी सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई तथ्य या दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जिससे उसके तथ्य प्रमाणित हो सके कि उक्त वाहन में गोंवश को परिवहन करना एवं किस सक्षम आदेश / लाइसेन्स / रवन्ना से परिवहन किया जा रहा था। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के सबंध में कोई स्पष्ट आधार पेश नही किया गया है जिससे प्रार्थी किसी भी प्रकार की

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

रिलीफ पाने का हकदार नही है। राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही विचाराधीन है जिसकी ट्रायल होनी है। ऐसी स्थिति में जप्त गोवंश में संलिप्त जब्तशुदा वाहन महिन्द्रा पिकअप रजि0न0 आरजे 14/जी.सी.1115 को सुपुर्दगी में नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बाबत् वाहन महिन्द्रा पिकअप रजि0न0 आरजे 14/जी.सी. 1115 खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति थाना अधिकारी गोपालगढ (भरतपुर) को आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
भरतपुर